

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:-28/2022 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक जरिये प्राधिकृत अधि., सर्कल SASTRA केंद्र, हनुमानगढ़ आशिष सिनेमा के सामने, गोयल टावर, तीसरी मंजिल, हनुमानगढ़ जंक्शन।

---प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स पंजाब ऑटो एजेन्सी मुख्य मिस्ट्री मार्केट, सरदारशहर रोड़, रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. श्री अमन करारावाल(करारावाल) पुत्र श्री भागीरथ निवासी वार्ड नं. 19 मुख्य मिस्ट्री मार्केट के पीछे, सरदारशहर रोड़, रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
3. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री आत्माराम निवासी अनाज मंडी के पीछे, वार्ड नं. 18 रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. श्री भागीरथ करारावाल पुत्र श्री मुंशी राम करारावाल निवासी वार्ड नं. 19 सुभाष नगर मिस्ट्री मार्केट रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

---अप्रार्थीगण/ऋणी

---प्रोपराईटर

---जमानतदार



वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश

दिनांक:-16.06.2022

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक जरिये प्राधिकृत अधि., सर्कल SASTRA केंद्र, हनुमानगढ़ आशिष सिनेमा के सामने, गोयल टावर, तीसरी मंजिल, हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर से श्री समीर यादव बैंक प्रतिनिधि उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को 15.00 लाख की ऋण सुविधा नगद साख सीमा ऋण के बाबत उपलब्ध करवाई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण सुविधा के एवज में सम्पत्ति सं. 1. सभी प्रकार के बरदाना आईटम का स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स का दृष्टिबंधक 2. साम्यिक बंधक व्यावसायिक सम्पत्ति नं. 71 जो सैक्टर सब्जी मंडी रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल (बैंक रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल $10 \times 20 = 200$ वर्गफिट, 22.22 वर्ग गज) है, जो कि श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री आत्माराम के नाम से है, 3. साम्यिक बंधक व्यावसायिक सम्पत्ति नं. 111 जो इंदिरा मार्केट, रावतसर जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल(बैंक रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल $10 \times 15 = 150$ वर्गफिट) है, जो कि श्री भागीरथ पुत्र श्री मुंशीराम के नाम से है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में हित साम्यिक बंधक किया।

ऋणी द्वारा प्रार्थी की बकाया रकम एवं ब्याज की राशि समय पर अदा नहीं किये जाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी के ऋण खाता को नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 को गैर-निष्पादनीय

2

आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 15,08,549/- दिनांक 31.10.2021 को बकाया एवं दिनांक 01.11.2021 से ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते है।

ऋणी के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से ऋणी व जमानती को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 13.05.2021 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 15,77,457/- (रुपये बन्दरह लाख सत्तर हजार चार सौ रुपये मात्र) दिनांक 11.05.2021 को बकाया एवं दिनांक 01.04.2021 से ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त के अदा करने की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

ऋणी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पत्ति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल SASTRA केंद्र, हनुमानगढ़ आशिष सिनेमा के सामने, गोयल टावर, तीसरी मंजिल, हनुमानगढ़ जंक्शन के प्रतिनिधि के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर सभी प्रकार के बरदाना आईटम का स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स का दृष्टिबंधक इत्यादि का हाईपोथिकेशन से सम्बन्धित स्टॉक सूची की नवीनतम स्थिति उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी बैंक बरदाना आईटम का स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स का दृष्टिबंधक इत्यादि का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा अचल व्यावसायिक सम्पत्ति नं. 71 जो सैक्टर सब्जी मंडी रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल (बैंक रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल $10 \times 20 = 200$ वर्गफिट, 22.22 वर्ग गज) है, जो कि श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री आत्माराम के नाम से है व व्यावसायिक सम्पत्ति नं. 111 जो इंदिरा मार्केट, रावतसर जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल (बैंक रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल $10 \times 15 = 150$ वर्गफिट) है, जो कि श्री भागीरथ पुत्र श्री मुंशीराम के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ व प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

उक्त आदेश आज दिनांक 16.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़